# FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत........................................मुकाम........................................

........केशाराम........बनाम........सुगनाराम........

किस्म मुकदमा........राज वाद........नं. 37/2020 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/05/2020 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवनारायण सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 53, 188, 208 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/06/2020 को पेश हो।<br>विद्याधर 19/5/2020<br>सहायक कलक्टर (SDO) नागौर | |
| 29/06/20 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/07/2020 को पेश हो। | |
| 29/07/2020 | अधिवक्तागण<br>वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाइल पेश करना चाहते है। ना. | सहवन से |

रा० वाद 37/2020

29/07/2020 अधिवक्तागण हड़ताल पर हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इजलास नहीं हो सकी। आगामी दिनांक 08/09/2020 को पेश हो।

24/08/20 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत पत्रावली पेशी पर लेने व जवाबदावा शामिल पत्रावली करने बाबत का पेश किया गया जिसकी प्रतिवादी वकील को दी गई वादी वकील द्वारा No objection प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा पत्रावली आज पेशी तारीख को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी पर तलब की गई प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से वकालतनामा व प्रतिवादी संख्या-1 से 4 की ओर से ईकबाली जवाबदावा मय आउटर कलेम पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली नियत दिनांक 08/09/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

08/09/2020 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या-1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा- कुम्पलिया में खेत खसरा नम्बर- 425 रकबा- 34.07 बीघा मौजा- गोडाटी की ढाणी में खसरा नम्बर- 157 रकबा- 1.16 बीघा व

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | रा॰वाद-37/20 नेनवान-केशाराम V/s जगताराम वगैरा | |
| | खसरा नम्बर-339 रकबा-51.08 बीघा व मौजा जोगेगुरों की ढाणी में खसरा नम्बर-419 रकबा-0.12 बीघा, खसरा नम्बर-420 रकबा-15.16 बीघा खसरा नम्बर-423 रकबा-0.07 बीघा व खसरा नम्बर-424 रकबा-0.03 बीघा पटवार मण्डल-कुम्पलिया तहसील-सिड़ा में आई हुई है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-2 से 4 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है। इसी हिस्से के मुताबिक वादी व प्रतिवादीगणों के पूर्वज वक्त सेटलमेन्ट से काबिज थे तथा वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण काबिज है। एवम् लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगणों के घर, टांके, पशुवाड़े व चारवाड़े आदि बने हुए है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए नहीं होने से वादी द्वारा घोषणा करवाकर अपने हिस्से का बाई मिसल रकबा बाउण्ड्री बंटवारा करने हेतु यह वाद पेश किया गया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 से 4 की ओर से वकील श्री नरपत मनड़ द्वारा वकालातनामा व ईकबाली जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई। वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या-1 से 4 का काउण्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-कुम्पलिया में खेत खसरा नम्बर-425 रकबा-34.07 बीघा मौजा गोदारों की ढाणी में खसरा न॰-157 रकबा-1.16 बीघा व खसरा नम्बर-339 रकबा-51.08 बीघा व मौजा-जोगेगुरों की ढाणी में खसरा नम्बर- | |

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | देवाराम पुत्र कानाराम जाति [illegible] |
| | रकबा - 37/20 बिस्वा [illegible] खसरा नम्बर-420 रकबा 419 रकबा- 0.12 बीघा, खसरा नम्बर- 423 रकबा- 0.07 15.16 बीघा, खसरा नम्बर- 424 रकबा- 0.03 बीघा बीघा व खसरा नम्बर- 424 रकबा- 0.03 बीघा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या- 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या- 2 से 4 प्रत्येक का 1/9-1/9 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारों के मध्य आने जाने हेतु शामलाती रास्ता छोड़ते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। प्राथमिक डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में दिनांक 19/10/20 को पेश हो। |
| | सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु |
| 19/10/2020 | वकलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हेतु वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/10/2020 को पेश हो। |
| | सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु |
| 27/10/2020 | वकलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई, वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते विभाजन प्रस्ताव पुन: प्राथमिक डिग्री अनुसार मंगवाने बाबत मय Ruleeg 1. RRT 2005 (2) page 955 2. RRT 2004(2) page 1067 3. RRD 1996 page 321 पेश किये गए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई, वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते |

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पुन: मंगवाने विभाजन प्रस्ताव बाबत को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को पुन: वार्ड मिडल एवं बाउंड्री वेरवाइज प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने बाबत तहरीर जारी होकर विभाजन प्रस्ताव के इन्तजार में पत्रावली दिनांक - 09/11/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु | |
| 09/11/2020 | वकुलाए फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिर्वा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/11/2020 को पेश हो। [initials] | |
| 24/11/2020 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों मे व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 05/01/2021 को पेश हों। [initials] | |
| 05/01/2021 | वकुलाए फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी आज दौरा पर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी 09/02/2021 को पेश हो। [initials] | |
| 09/02/2021 | पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 19/05/2021 को पेश हो। [initials] | |
| 19/05/2021 | पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 03/08/2021 को पेश हो। [initials] | |

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 03/08/2021 | पत्रावली पेश हुई पक्षकारान उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 29/11/2021 को पेश हो। |
| 29/11/2021 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय करीबेन प्रशासन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के व्यस्त गाँवों के संग अभियान-2021 में होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 13/01/2022 को पेश हो। |
| 13/01/2022 | वकुलाय करीबेन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील बहस फाईनल करना चाहते हैं अतः समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/01/2022 को पेश हो। |
| 25/01/2022 | वकुलाय करीबेन उपस्थित। वादी वकील बहस फाईनल करना चाहते हैं। एक और समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/02/2022 को पेश हो। |
| 17/02/2022 | वकुलाय करीबेन उपस्थित। वादी वकील ~~विभाजन प्रस्ताव~~ व प्रतिवादी संख्या-1 से 4 के वकील उपस्थित। प्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र केशाराम जाति-जाट निवासी- कुम्पलिया तहसील-गिड़ा जिला- बाड़मेर की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश गोदारा द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10 सपठित धारा 151 CPC वास्ते बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत का प्रस्तुत किया गया व निवेदन किया गया कि प्रार्थी दिनेश कुमार |

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | वादी का जायदा पुत्र है जिस कारण प्रार्थी का उक्त पैतृक भूमि में जन्म से अधिकार है जेनालॉजी शेयर के अनुसार प्रार्थी वादी केशाराम के साथ हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा स्वामित्व घोषणा बाबत अलग से दावा इस न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी दिनेश कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 स्वीकार किया जाकर उक्त वाद में बतौर पक्षकार संयोजित किया जावें। जबकि प्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा अपने पिता केशाराम के हिस्से में से अपने हिस्से की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद में पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया गया है अन्य किसी सहखातेदार में प्रार्थी दिनेश कुमार का कोई हक हिस्सा नहीं है उक्त वाद में विभाजन से प्रार्थी के हक हिस्से पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं यह बताया गया है कि वादी केशाराम के हिस्से में से अपने हिस्से की घोषणा करवाने हेतु अलग से वाद प्रस्तुत किया गया है इसलिए उक्त वाद में प्रार्थी ~~[illegible]~~ को पक्षकार नहीं बनाने से प्रार्थी दिनेश कुमार के हक हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रार्थी के पिता का हिस्सा विभाजन होने पर भी सुरक्षित रहेगा। लिहाजा प्रार्थी दिनेश कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 सपठित धारा 151 CPC को खारीज किया जाता है। व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील बहस नहीं करना चाहते है। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-21/02/2022 को पेश हो। | |

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 21/02/2022 | वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 4 के अधिवक्तागण वकील उपस्थित। दोनों पक्षों की तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई, वादी वकील द्वारा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए प्रार्थना-पत्र वास्ते विभाजन प्रस्ताव पुनः प्रारंभिक डिक्री जारी अनुसार मंगवाने बाबत प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी ने अपने 1/3 हिस्सा घोषित कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या-1 से 4 की ओर से इकबाली जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिदावा के आधार पर डिक्री जारी की गई, वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-2 से 4 प्रत्येक का 1/9-1/9 हिस्सा घोषित कर वादी व प्रतिवादीगणों के मध्य आवागमन हेतु संयुक्त रास्ता रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तहसीलदार गिड़ा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा दिनांक 18.10.2020 को मौके पर पहुँच कर विवादित भूमि का बिना माप तौल किये प्रतिवादीगणों के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर वादी को विभाजन प्रस्ताव के नक्शे पर हस्ताक्षर करने को कहा गया तो वादी द्वारा माप तौल |

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

| नम्बर अहकाम हुक्म को ता. जारी हुए / तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | सीमाज्ञान कर मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार तथा न्यायालय निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निवेदन किया गया तो तहसीलदार गिड़ा द्वारा वादी व पड़ौसियान की बात न मानकर अपनी मनमर्जी व प्रतिवादीगणों के कहे अनुसार प्राथमिक डिग्री से अलग विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी द्वारा आपत्ति पेश कर तहसीलदार स्वयं के द्वारा उभयपक्षकार के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाने का निवेदन किया गया, न्यायालय की द्वारा नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान को समुचित रूप से सूचना देकर तहसीलदार गिड़ा द्वारा पैमाइश करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पूर्व में भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.10.2020 की कॉपी करते हुए दिनांक 08.11.2020 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिग्री में दर्शाये गये हिस्सो में फेरबदल कर नये सिरे से हिस्से रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो तहसीलदार को हिस्सों में फेरबदल करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी के उपरोक्त वाद पत्र में स्वीकार हिस्से व कब्जे काश्त व प्रतिवादीगण के जवाबदावा के पद संख्या-2 में अंकित सेटलमेन्ट से आज दिन तक वादी का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त स्वीकार किया गया है। परन्तु तहसीलदार गिड़ा द्वारा उक्त | |

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |

विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है
से खसरा विभाजन प्रस्ताव के साथ तहसीलदार
तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया
गिरदावर द्वारा नक्शा [illegible] विभाजन प्रस्ताव के
गया जो [illegible] है जो गलत रूप से
साथ प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त खातेदारी की
प्रस्तुत किया गया [illegible] का प्रत्येक इंच पर
भूमि के सभी खातेदारों का तथा संयुक्त खातेदारी
कब्जा माना जाता है तथा संयुक्त खातेदारी (एडवर्स पोजेशन) का
की भूमि के प्रतिकूल कब्जे
सिद्धान्त लागू नहीं होता है इस सम्बन्ध में
माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी कई
निर्णयों में अपना मत प्रकट किया है इसलिए
उपरोक्त वादग्रस्त खसरों के संबंध में तहसील-
दार गिरदावर द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक
08/11/2020 को वापिस लौटाया जाकर श्रीमान्
न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिग्री के अनुसार
पुनः नये सिरे से मौके पर नाप तौल व सीमाज्ञान
करवाकर उभय पक्षकारान व सेटा पड़ोसियों के
समक्ष मौका फर्द तैयार कर मौके के कब्जे
काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये
जाने का आदेश फरमावें। इस संबंध में वादी
वकील द्वारा ① RRT-2002 (1) Page-342 ②
RRD 2002 Page-423 की नजीरें भी पेश की
गई तथा साथ ही वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 151 CPC प्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र
केशाराम जाति-जाट निवासी-कुम्पलिया की
ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस
वाद में वर्णित भूमि प्रार्थी दिनेश कुमार की पैतृक
खातेदारी अधिकारी की है जिस हेतु प्रार्थी ने
अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने
हेतु एक राजस्व वाद श्रीमान् के न्यायालय
में पेश कर रखा है जो राजस्व वाद संख्या-

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 229/2020 अन्तर्गत - दिनेश कुमार बनाम केशाराम विचाराधीन है। प्रार्थी का वाद खातेदारी घोषणा का वाद है जिसके वाद के निर्णय से पूर्व हस्तगत वाद जो बंटवारे का है जो उसी खसरों के संबंध में अन्य घोषणा का वाद विचाराधीन रहते बंटवारे का वाद चलने योग्य नहीं होता है। इसलिये हस्तगत वाद की कार्यवाही को प्रार्थी के घोषणा के वाद के निर्णय तक ड्रोप किये जाने का आदेश फरमावें। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना-पत्रों की प्रति प्रतिवादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।<br><br>प्रतिवादी संख्या-1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया गया कि वादी वकील द्वारा उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में बताया कि न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाकर प्रतिवादीगणों के कहने पर व दबाव में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जबकि वादी द्वारा लगाये गये ये आरोप निराधार है। तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौके पर स्वयं उपस्थित होकर सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौके पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाकर मौके पर पूर्व में पक्षकारों द्वारा आपसी मौखिक बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त व मौके पर रहवासी ढाणियाँ, टांका, चार बाड़ा व पशु बाड़े आदि का अवलोकन किया गया तो वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने-अपने घरों में उपस्थित मिले। वादी केशाराम के घर पर कानाराम वगैरह प्रतिवादीगणों को बुलाने पर प्रतिवादीगण वादी केशा- | |

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | राम के घर पर नहीं आये और वादी केशाराम को प्रतिवादीगण कंवाराम के यहाँ चलने का कहने पर वादी केशाराम ने भी कालाराम के यहाँ चलने से मना किया गया। वादी केशाराम ने बताया की समस्त विवादित भूमि में हिस्से नुसार बंटवारा किया जावे। तथा प्रतिवादीगणों ने पूर्व में किये गये बंटवारे को सही होना स्वीकार किया गया। तहसीलदार गिड़ा ने सम्पूर्ण विवादित भूमि के खसरों का अवलोकन किया गया, मौका अवलोकन करने पर ग्राम कुम्पालिया के ख०न० 425 ग्राम जांगुओं की ढाणी के खेत ख०न० 420 के हिस्सेनुसार विभाजन किया जाना सम्भव नहीं होना पाया गया। ग्राम कुम्पालिया के खेत ख०न० 425 में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्व में आपसी बंटवारे अनुसार ढाणियां, टांके तथा बाड़े बनाकर अलग-अलग काश्त कब्जे अनुसार काबिज है। ग्राम जांगुओं की ढाणी के खेत ख०न०-420 रकबा-15.16 बीघा में से प्रत्येक सहखातेदार को हिस्सानुसार जमीन देने की बात कही परन्तु मौके पर ख०न०-420 की 10.00 बीघा भूमि पर वादी केशाराम का कब्जा है एवं केशाराम व केशाराम के पुत्र दुर्गेश की ढाणी बनी हुई है। इसी खसरे से लगता खसरा नम्बर-419 गैर मुमकिन टांके की भूमि है इस टांके का उपयोग केशाराम द्वारा ही किया जा रहा है तथा खसरा नम्बर-420 व खसरा नम्बर-425 की भूमि आपस में जुड़ी हुई है। 420 खसरे की भूमि का यदि हिस्से अनुसार विभाजन किया जाता है व आमलोगों रास्ता आवागमन हेतु रखा जाता है तो खातेदारों के मध्य तीन छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे तथा रास्ते में अधिक भूमि उपयोग |

सहायक कलक्टर
(SDO) ...

| ख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मे आयेगी। इसलिए ख.न0-420 व 425 की भूमि जुडी हुई होने से प्रेमाराम को दी जानी उचित है तथा दोनों खातों का विभाजन करने पर कम तथा ज्यादा आने वाली भूमि का समायोजन ग्राम गोदारो की ढाणी के खेत ख.न0-157, 339 कुल रकबा-53.04 बीघा मौके पर खाली पड़ी भूमि से किया गया। वर्तमान में सड़क मार्ग ग्राम कुम्पलियां के खेत ख.नं.-425 से जुड़ा हुआ है। वर्तमान वादी एवं प्रतिवादीगणों के आवागमन हेतु ख.नम्बर-425 तथा ग्राम गोदारो की ढाणी ख.नं.-339 में आमरास्ता रखने से समान सुविधा प्रदान होती है उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 21 से 28 की पालना पूर्ण रूप से की गई, तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तैयार कर संलग्न किया गया जिसमें वादी व प्रतिवादीगणों के रहवासी घर, टांके आदि क्रम संख्या 1 से 13 में दर्शाये गये है जो पक्षकारों के मध्य कब्जे बाबत ढाणियें, टांके आदि जो मौके पर बनाये गये है जो प्रभावित नहीं हो। उक्त ढाणिये, टांके आदि पूर्व के मौखिक बंटवारे के की गई भूमि अनुसार ही बनाये गये है। यदि प्रत्येक खाते में हिस्से अनुसार भूमि पक्षकारों को दी जाती है तो पक्षकारों के घर, टांके आदि प्रभावित होंगे व उनको बेदखल किया जायेगा। जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी व प्रति | |

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विभाजन प्रस्ताव<br>पुनः मंगवाने बाबत व संशोधित [illegible]<br>जावे। क्योंकि उक्त प्रस्ताव कई बार<br>विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जा चुका है।<br>बार-बार विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाने<br>का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय<br>का समय जाया कर रहे हैं। वादी वकील<br>की कभी मंशा नहीं है कि विभाजन पक्षकारों<br>के मध्य हो। क्योंकि वादी वकील की विभाजन<br>करवाने की मंशा होती तो वादी वकील प्रार्थना<br>पत्र अन्तर्गत धारा-151 CPC प्रार्थी दिनेश<br>कुमार की ओर से प्रस्तुत कर उक्त वाद<br>में कार्यवाही को ड्रोप करने का निवेदन कर<br>रहे हैं जबकि प्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा दावा<br>का वाद वादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है<br>परन्तु वादी वकील प्रार्थी दिनेश कुमार की<br>तरफ से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पैरवी कर<br>रहे हैं जिस पर प्रार्थी श्री दिनेश कुमार के<br>कहीं प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हैं।<br>वादी वकील दोनों तरफ से पैरवी कर रहे हैं<br>जो कतई उचित नहीं है। लिहाजा वादी वकील<br>द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना-पत्र विभाजन पुनः<br>प्राथमिक डिक्री अनुसार मंगवाने व प्रार्थना-पत्र<br>अन्तर्गत धारा-151 CPC को खारिज फरमाया<br>जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन<br>प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वाद अंतिम<br>डिक्री किया जावे।<br>हमने दोनों पक्षों के विद्वान<br>अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वादी वकील द्वारा<br>प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विभाजन प्रस्ताव पुनः डिक्री<br>पर्चा अनुसार मंगवाने बाबत व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत |

| हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

धारा-151 CPC पर भी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया की तहसीलदार गिड़ा द्वारा पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम-21 व 28 की पूर्ण पालना की गई है तथा मौके पर पक्षकारों के काबिजों कोई भी प्रभावित नहीं हो को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। पुनः विभाजन प्रस्ताव बार-बार मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है लिहाजा वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाने बाबत व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-151 CPC वाद में कार्यवाही रोकने बाबत को खारीज किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है व वाद डिग्री किया जाता है।

| क्र०सं० | नाम खातेदार | नाम ग्राम | ख०नं० | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केशाराम पुत्र सोनाराम कौम-जाट साकिन कुम्पलिया खातेदार | कुम्पलिया | 425 | 4.00 | बा०दो० | 0.36 |
| | | जांगुओं की ढाणी | 419 | 0.12 | गै०मु० | — |
| | | | 420 | 15.16 | बा०दो० | 1.42 |
| | | | 423 | 0.07 | गै०मु० | |
| | | गोदारों की ढाणी | 157 | 1.16 | बा०दो० | 0.11 |
| | | | 339 | 11.18 | -"- | 0.71 |
| | | योग:- 03 | 06 | 34.09 | - | 2.60 |
| 2. | बगताराम पुत्र अचलाराम कौम-जाट साकिन कुम्पलिया खातेदार | कुम्पलिया | 425 | 12.11 | बा०दो० | 1.13 |
| | | जांगुओं की ढाणी | 424 | 0.03 | गै०मु० | |
| | | गोदारों की ढाणी | 339 | 21.15 | बा०दो० | 1.30 |
| | | योग:- 03 | 03 | 34.09 | - | 2.43 |

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | इन्दाराम अनोपाराम पि० राजूराम दत्तो ढेली पोते राजूराम कौम- जाट साकिन कुम्पलिया खातेदार | कुम्पलिया ओरा(ि) ब) हाल | 425 | 17.08 | बा०सि० 1.. |
| | | | 339 | 17.00 | बा०सि० 1.02 |
| | | योग:- 02 | 02 | 34.08 | बा०सि० 2.61 |
| 4. | इन्दाराम अनोपाराम पि० राजूराम दत्तो ढेली पोते राजूराम केशाराम पुत्र सोनाराम बगताराम पुत्र अचलाराम कौम- जाट साकिन कुम्पलिया खातेदार | कुम्पलिया ओरा) ब) हाल) | 425 | 0.08 | बा०सि० 0.03 |
| | | | 339 | 0.15 | बा०सि० 0.05 |
| | | योग:- 01 | 02 | 1.03 | बा०सि० 0.08 |

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गिड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली मौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO)

Jud/Civil
Part IV-10

# न्यायालय डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं S.D.O. श्री विवेक व्यास RAS. मुकाम [illegible]

डेगाराम बनाम भंवराराम वगैरह

बाबत राजस्व 88,53,188 राज०भू०

मुकदमा नं. 37/20 सन 2020

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय व हाजरी श्री [illegible] एड० मिनजानिब मुदई व श्री [illegible] एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या-1 से 4 का [illegible] मय [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] के स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-[illegible] में खेत ख०नं०-425 रकबा-34.07 बीघा, मौजा [illegible] की ढाणी में ख०नं०-157 रकबा-1.16 बीघा, ख०नं०-339 रकबा-31.08 बीघा व मौजा-[illegible] की ढाणी में ख०नं०-419 रकबा-0.12 बीघा, खसरा नम्बर-420 रकबा-15.16 बीघा, ख०नं०-423 रकबा-0.07 बीघा व खसरा नम्बर-424 रकबा-0.03 बीघा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या-1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-2 से 4 प्रत्येक का 1/9-1/9 हिस्सा प्रतिवादीगण का घोषित किया जाकर तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारों के मध्य शामलाती बांटा छोड़ते हुए [illegible] मिसल एण्ड बाउण्ड बटवारा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में मिजवाने की व्यवस्था करें।

कौम ............ मुबलिग ............ बाबत ............ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ............ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ............ को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 09 20 20 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [illegible]

ओहदा ............

| मुदई | रूपया | पै. | मुदई | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अजीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमीशनर | | | फीस कमीशनर | | |
| बाबत इजराल हुकमनामा | | | बाबत इजराज हुकमनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजाना | | |

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

वादी — बनाम — प्रति...

1. केशाराम पुत्र सोनाराम जाति- जाट निवासी- कुम्पलिया तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर

1. खगालाराम पु...
2. ईशाराम पुत्र रा...
3. अन्नोपाराम पुत्र राजुराम
4. दली पत्नि राजुराम

जाति- जाट नि०- कुम्पलिया तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर

5. तहसीलदार गिड़ा

(SDO) बायतु

कार्यालय
क्रमांक मु.ज. / 2020 / 3381
श्रीमान उपखण्ड ...
बायतु जिला बा...
प्रेषित —

Jud/Civil
Part IV-10

# डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम ..........

इजलास राज्य ... श्री ... RAS बनाम ..........

पेमाराम — खेतारारम वगैरा

दावा बाबत धारा 88, 53/188 R.T.Act ..........

मुकदमा नं. 37/20 .......... सन् 2020

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय ..........

व हाजरी श्री शिवकाराम सियाग एड० मिनजानिब मुदई व श्री नरपत पंवार एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार गिडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

कौम .......... मुबलिंग .......... बाबत् ..........

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक .......... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 02 2022 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर .......... ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

| मुदई | रूपया | पै. | मुदई | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अजीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमीशनर | | | फीस कमीशनर | | |
| बाबत इजराल हुकमनामा | | | बाबत इजराज हुकमनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

वादीगण

1. हेमाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी
कुडपलिया तहसील गिडा
जिला बाड़मेर

बनाम

1. भगलाराम
2. ईन्दाराम पुत्र
3. मनोहराराम पुत्र राजुराम
4. दल्ली पत्नि राजुराम
जाति जाट निवासी
कुडपलिया तहसील गिडा
जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार गिडा

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु